न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
वाद सं. 140/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
श्रीमति प्रेमबाई महात्मा W/S कोमल कुमार	
7/10/19 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पदस्थित नहीं अतः पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो। (पूर्व आदेश)	
पीठासीन उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
21/10/19 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थीया व स्वयं प्रार्थीया को कई बार सुनवाई हेतु आवाजें लगवाई गई किन्तु वकील प्रार्थीया व स्वयं प्रार्थीया उपस्थित नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अदम हाजरी/पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में पूर्व में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही निरस्त होकर शून्य माना जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जावे। यह पत्रावली मूल वाद की निरस्त प्रार्थना पत्र से पतन हो।	
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.02.19 14:09:07 IST
Reason: SelfAttested